बाल विवाह मुक्त
हमारा
बिहार

दहेज मुक्त बिहार
संकल्प हमारा

बाल विवाह
और दहेज प्रथा को
संबोधित करते हुए

बिहार महादलित विकास मिशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी, विकास मित्र एवं टोला सेवक के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह और दहेज प्रथा को संबोधित करते हुए

बिहार महादलित विकास मिशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी, विकास मित्र एवं टोला सेवक के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

सन्दर्भ:

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि लोक कल्याण के कार्य की जिम्मेदारी राज्य की है तथा राज्य लोक कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था कायम करेगा (अनुच्छेद 38), अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों व अन्य कमजोर तबकों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा (अनुच्छेद 46)। इसी पृष्ठभूमि में बिहार राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों में महादलितों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक सहित सभी क्षेत्रों में उत्थान व समय के साथ उनके विकास हेतु सुझाव देने / अनुशंसा करने के लिए राज्य महादलित आयोग, बिहार का गठन किया गया है ।

बिहार सरकार द्वारा अपनी पहल से राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा का अंत करने के लिए विभिन्न सम्बंधित हितधारकों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण का उद्देश्य राज्य महादलित आयोग के तहत पूरे बिहार में कार्यरत विकास मित्र और टोला सेवक व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी के लिए सामान्य सर्वमान्य हस्तक्षेप का तरीका प्रदान करना है। यह अपेक्षित है कि इसका उपयोग ये हितधारक (विकास मित्र और टोला सेवक व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी) बाल विवाह या दहेज की घटना के संज्ञान में आने पर उसमें हस्तक्षेप करने और उसके रोकथम की पहल करने में करेंगे।

बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने में विकास मित्र और टोला सेवक व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी की भूमिका

राज्य के महादलितों के बीच में विकास कार्य करने हेतु विकास मित्रों एवं टोला सेवकों व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी की भर्ती की गई है। विकास मित्र और टोला सेवक व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी महादलितों के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने, और उन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने, और समाज निर्माण में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास मित्रों और टोला सेवकों की पहुँच उनके लिए निर्धारित किये गए कार्य क्षेत्र के लगभग पूरी आबादी में फैली होती है, और वे अपने पद का उपयोग शादी के नये आदर्श / मानक को स्थापित करने और दहेज प्रथा को रोकने हेतु समुदायों को प्रेरित करने और समझाने के लिए कर सकते हैं। बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए कुछ मानक संचालन प्रक्रियायें विकास मित्रों और टोला सेवकों व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अधिकारी के लिए बनाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं।

विकास मित्र और टोला सेवक के लिए मानक संचालन प्रक्रिया:

1. सभी महादलितों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हुए समाज निर्माण में उनकी पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करना।
2. महादलित बस्तियों एवं महादलितों का सर्वेक्षण करना। अगर उनके यहाँ बाल विवाह और दहेज प्रथा प्रचालन में है तो उसे रोकना और उनके विकास की कार्य योजना तैयार करना।
3. महादलित वर्ग की लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाना और यह सुनिश्चित करना कि कम से कम वे स्कूल की पढ़ाई पूरी करें।
4. महादलितों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को पंचायती राज सदस्यों के साथ मिलकर जमीन पर लागू कराना।
5. यदि किसी महादलित महिला को दहेज के कारण घर से निकाल दिया गया है तो उसके लिए आवासीय भूमि का आवंटन सुचिश्चित करना।

6. सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार को सुचिश्चित करने के लिए आवास, पेयजल, शौचालय इत्यादि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना, जिससे ये मुद्दें बाल विवाह का कारण न बन सकें।
7. आंगनवाड़ी, स्कूली शिक्षा, जीवन कौशल एवं रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण की एक संरचना तैयार करना ताकि किशोरियों का बाल विवाह न हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें और दहेज के लिये उनका उत्पीड़न न हो सके।
8. सरकारी एवं निजी नौकरियों में महादलितों, खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना तैयार करना और उसे लागू करना।
9. महादलितों में बाल विवाह और दहेज की समस्याओं की रोकथाम करने के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में तालमेल बैठना और सभी विभागों की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाना।
10. गैर सरकारी एवं समुदाय आधारित संस्थाओं के साथ तालमेल बनाकर महादलितों के लिए प्रगतिशील योजनाओं को लागू करना।
11. सभी प्रकार की योजनाओं हेतु संसाधनों का आंकलन करना एवं योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त धन की वयवस्था कराना।
12. सरकार तथा समुदाय के बीच कड़ी के रूप में काम करने के लिए महादलितों के बीच कैडर का निर्माण करना, जिससे उनका विकास हो सके।

विकास मित्र, टोला सेवक एवं उनके कार्य

- बिहार महादलित विकास मिशन बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।
- अनुसूचित जाति में महादलित के रूप में चिन्हित सभी वर्गों के सतत विकास के लिए बिहार महादलित विकास मिशन योजना बनाती है एवं उसे कार्यान्वित करती है।
- महादलित समुदाय के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को महादलित समुदाय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत एवं महादलित समुह के रूप में चिन्हित प्रत्येक शहरी वार्ड कलस्टर में लगभग 9460 विकास मित्र कार्यरत हैं।
- जिला परियोजना पदाधिकारी सह जिला कल्याण पदाधिकारी की भूमिका – विकास मित्र पर नियंत्रण
- जिला परियोजना के नेतृत्व में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी काम करते है।
- वह मिशन के परियोजना के लिए रणनीति विकसित करते है, ताकि मिशन में सभी कार्यकर्ता की एक सामान दृष्टि का निर्माण हो।
- जिला परियोजना पदाधिकारी जिला मिशन की सभी परियोजना गतिविधियां की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है।
- विकास मित्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत हैं।
- विकास मित्र के मानदेय का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से की जाती है।
- समय–समय पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के आधार पर राज्य कार्यालय द्वारा विकास मित्रों के लिए मानदेय की राशि उपलब्ध कराई जाती है।
- विकास मित्र की वास्तविक संख्या एवं उनके द्वारा महादलित समुदाय के लिए की जा रही कार्य की अद्यतन जानकारी राज्य कार्यालय को ज्ञात रहना आवश्य है।

विकास मित्र के कार्य

- महादलित समुदाय की स्थिति एवं उनके लिए उपलब्ध कराए जा रहे सरकारी सुविधाओं में विकास मित्र की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार महादलित विकास मिशन 'विकास रजिस्टर' बना रही है।
- विकास मित्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की वास्तविक जानकारी के आधार पर योजना बनाने एवं योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण आसान होगा।
- सॉफ्टवेर के माध्यम से मूल्यांकित किया हुआ डाटा संग्रह किया जा रहा है।
- विकास रजिस्टर को सॉफ्टवेर के माध्यम से ऑनलाइन किया रहा है।

विकास मित्र का कार्यक्षेत्र

- रजिस्ट्रेशन के बाद विकास मित्र को अपने कार्य क्षेत्र का विवरण देना अनिवार्य है।
- विकास मित्र के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध सुविधा यथा सामुदायिक भवन, पेयजल, सड़क, बिजली एवं स्कूल की स्थिति की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अलग–अलग फार्म उपलब्ध करया गया है।
- उक्त सुविधाओं में सात निश्चय में निहित सामुदायिक सुविधाओं को समाहित किया गया है।

विकास मित्र का व्यक्तिगत विवरण

- विकास मित्र का व्यक्तिगत विवरण यथा (पिता/पति का नाम, जाति, गांव, पता एवं बैंक खाता का विवरण) उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- व्यक्तिगत विवरण के साथ कार्यक्षेत्र में वसाबट के आधार पर कुल परिवार की संख्या एवं महादलित परिवार की संख्या उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- इसके आधार पर महादलित टोला एवं परिवार की संख्या ज्ञात की जा सकती है।
- उक्त के आधार पर योजना बनाने में काफी सहुलियत होने की संभावना है साथ ही विकास मित्र के मानदेय भुगतान सम्बन्धी शिकायतों पर नियंत्रण किया जा सकता है।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए अलग–अलग फार्म उपलब्ध कराया गया है।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग